

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
मांग संख्या 12
वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
	732.00	937.55	1669.55	345.36	1250.00	1595.36	561.25	1250.00	1811.25	
	153.00	...	153.00	404.64	...	404.64	526.00	...	526.00	
	885.00	937.55	1822.55	750.00	1250.00	2000.00	1087.25	1250.00	2337.25	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	3451	...	27.75	27.75	...	30.75	30.75	...	29.65	29.65
2. व्यापार आयुक्त	3453	...	65.59	65.59	...	70.00	70.00	...	73.00	73.00
3. विदेश व्यापार महानिदेशक	3453	...	37.16	37.16	...	38.11	38.11	...	40.50	40.50
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता										
4.01 निर्यात सब्सिडी	3453	...	605.48	605.48	...	712.12	712.12	...	676.27	676.27
4.02 निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान	3453	...	50.00	50.00	...	52.00	52.00	...	55.00	55.00
4.03 अनाज की निर्यात सब्सिडी	3453	0.01	0.01
	जोड़	...	655.48	655.48	...	764.12	764.12	...	731.28	731.28
5. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास										
5.01 कांडला - एस ई जेड	3453	...	3.14	3.14	...	3.14	3.14	...	3.52	3.52
5.02 इलेक्ट्रॉनिक्स (एसईईपीजेड)-एसईजेड	3453	...	5.68	5.68	...	5.68	5.68	...	6.05	6.05
5.03 फाल्टा	3453	...	1.67	1.67	...	1.67	1.67	...	1.88	1.88
5.04 चेन्नई	3453	...	3.77	3.77	...	3.76	3.76	...	3.86	3.86
5.05 कोचीन-एसईजेड	3453	...	2.16	2.16	...	2.16	2.16	...	2.44	2.44
5.06 नोएडा	3453	...	3.91	3.91	...	3.85	3.85	...	3.93	3.93
5.07 विशाखापत्तनम	3453	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.18	2.18
5.08 इंदौर एस ई जेड	3453	0.10	0.10	...	0.40	0.40
5.09 जयपुर एस ई जेड	3453	0.08	0.08	...	0.37	0.37
5.10 मनीकंचन एस ई जेड कोलकाता	3453	0.08	0.08	...	0.37	0.37
5.11 मुरादाबाद एस ई जेड	3453	0.07	0.07	...	0.37	0.37
5.12 महा-मुम्बई एस ई जेड	3453	0.40	0.40
5.13 जोधपुर एस ई जेड	3453	0.37	0.37
5.14 ईसीजीसी में निवेश	5465	80.00	...	80.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
5.15 भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	3453	...	3.50	3.50	...	1.75	1.75	...	1.75	1.75
	जोड़	80.00	25.83	105.83	60.00	24.34	84.34	100.00	27.89	127.89
6. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	52.30	4.00	56.30	40.00	2.00	42.00	53.00	2.00	55.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	52.27	5.00	57.27	41.00	4.00	45.00	52.00	4.00	56.00
8. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं										
8.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	...	16.59	16.59	...	16.22	16.22	...	10.84	10.84
8.02 निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण										
8.02.01 भारत की गुणवत्ता परिषद	3453	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
8.02.02 निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	4.00	2.42	6.42	4.00	2.42	6.42	5.89	0.01	5.90
8.02.03 ईएएन-भारत	3453	0.43	...	0.43	0.41	...	0.41	0.41	...	0.41
8.02.04 बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	44.00	...	44.00	30.00	...	30.00	102.24	...	102.24
8.02.05 डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	3453	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	1.00	...	1.00
8.02.06 संस्थाओं को सहायता	3453	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	13.55	...	13.55
8.02.07 आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	3453	2.64	...	2.64	2.64	...	2.64	5.00	...	5.00
	5453	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
	जोड़	5.64	...	5.64	2.64	...	2.64	6.00	...	6.00
8.02.08 फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	3453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
8.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान	3453	...	5.00	5.00	...	6.58	6.58	...	7.00	7.00

सं.12/ वाणिज्य विभाग

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.04 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	0.40	0.40	...	0.27	0.27	...	0.40	0.40
8.05 निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	3601	240.00	...	240.00
	3602	20.00	...	20.00
	5453	70.00	...	70.00	324.64	...	324.64	385.00	...	385.00
जोड़		330.00	...	330.00	324.64	...	324.64	385.00	...	385.00
8.06 रबर की खरीद पर एस.टी.सी. को घाटे की प्रतिपूर्ति	3453	1.00	1.00
8.07 अन्य	3453	...	3.40	3.40	...	3.35	3.35	...	2.51	2.51
जोड़		393.52	27.81	421.33	370.99	29.84	400.83	515.24	20.76	536.00
जोड़-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन बागान		578.09	820.87	1398.96	511.99	932.41	1444.40	720.24	899.43	1619.67
9. सामग्री बोर्ड										
9.01 चाय बोर्ड	2407	29.45	24.02	53.47	29.45	21.39	50.84	54.93	16.00	70.93
9.02 रबड़ बोर्ड	2407	66.96	10.50	77.46	66.96	10.50	77.46	70.60	11.00	81.60
9.03 कॉफी बोर्ड	2407	49.00	12.50	61.50	23.00	12.50	35.50	51.00	13.00	64.00
9.04 मसाला बोर्ड	2407	21.01	3.00	24.01	18.00	3.00	21.00	21.00	3.20	24.20
9.05 काजू वि. संव. परि.	2407	1.25	...	1.25	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़ - सामग्री बोर्ड		167.67	50.02	217.69	138.41	47.39	185.80	198.53	43.20	241.73
10. बागान की अन्य योजनाएं										
10.01 भारतीय चाय व्यापार निगम को भुगतान	2407	...	0.20	0.20
10.02.01 मूल्य स्थिरीकरण निधि	2407	...	0.01	0.01	...	200.00	200.00	...	234.13	234.13
10.02.02 पी एस एफ न्यास को भुगतान मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना से	2407	2.08	2.08
को	2407	-2.08	-2.08
निवल	
10.03 चाय बागान	2407	54.00	...	54.00	20.36	...	20.36	58.50	...	58.50
जोड़ - बागान की अन्य योजनाएं		54.00	0.21	54.21	20.36	200.00	220.36	58.50	234.13	292.63
जोड़-बागान		221.67	50.23	271.90	158.77	247.39	406.16	257.03	277.33	534.36
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि										
11.01 अवसंरचना एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	4552	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
	2552	20.00	...	20.00
11.02 चाय	2552	35.55	...	35.55	35.55	...	35.55	38.32	...	38.32
11.03 रबड़	2552	16.58	...	16.58	16.58	...	16.58	19.40	...	19.40
11.04 कॉफी	2552	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
11.05 मसाले	2552	2.20	...	2.20	2.20	...	2.20	4.00	...	4.00
11.06 चाय बागान	2552	6.00	...	6.00	1.50	...	1.50
11.7 इंडियन पैकेजिंग इंस्टिट्यूट	2552	1.50	...	1.50
जोड़		83.33	...	83.33	77.33	...	77.33	108.72	...	108.72
आपूर्ति और निपटान										
13. डी. जी. एस एन्ड डी	2057	1.91	38.70	40.61	1.91	39.45	41.36	1.26	43.59	44.85
कुल जोड़		885.00	937.55	1822.55	750.00	1250.00	2000.00	1087.25	1250.00	2337.25
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13465	80.00	...	80.00	60.00	...	60.00	100.00	...	100.00
2. अन्य संस्थाएं/निकाय-वस्तु बोर्ड इत्यादि	12401	...	12.65	12.65	2.50	2.50
3. बागान	12407	...	14.87	14.87	...	8.19	8.19	...	8.20	8.20
4. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	5.84	5.84	...	3.50	3.50
जोड़-अन्य संस्थाएं/निकाय-वस्तु बोर्ड इत्यादि		...	27.52	27.52	...	14.03	14.03	...	14.20	14.20
जोड़		80.00	27.52	107.52	60.00	14.03	74.03	100.00	14.20	114.20
ग. योजना परिव्यय										
1. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	578.09	...	578.09	511.99	5.84	517.83	720.24	3.50	723.74
2. बागान	12407	221.67	14.87	236.54	158.77	8.19	166.96	257.03	8.20	265.23
3. फसल कार्य	12401	...	12.65	12.65	2.50	2.50
4. आपूर्ति और निपटान	32057	1.91	...	1.91	1.91	...	1.91	1.26	...	1.26
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	83.33	...	83.33	77.33	...	77.33	108.72	...	108.72
जोड़		885.00	27.52	912.52	750.00	14.03	764.03	1087.25	14.20	1101.45

सं.12/ वाणिज्य विभाग

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं** - विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **व्यापार आयुक्त** - 66 विदेश व्यापार मिशनों में पदस्थापित आयुक्त व्यापार संबंधी पूछ-ताछ का कार्य संभालते हैं, वे व्यापारिक विवादों को निपटाने और प्रदर्शनियाँ/मेले आदि आयोजित करने में भी सहायता करते हैं।

3. **महानिदेशक, विदेश व्यापार** - इसमें महानिदेशक, विदेश व्यापार के मुख्यालय और उसके अधीन 32 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए प्रावधान है।

4. **निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता** - यह प्रावधान संभावित निर्यात लाभ (शुल्क वापसी और सीमांत उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थाओं को विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों का भुगतान भी शामिल है।

5. **मुक्त व्यापार/निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र/ विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास:** यह प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यय, ईसीजीसी में निवेश और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (प्रशासनिक व्यय) को सहायता के लिए है।

6. **कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए):** यह प्रावधान कतिपय कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन तथा संबद्ध मामलों के लिए एपीईडीए को भुगतान हेतु है।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)** - एमपीईडीए की स्थापना निर्यात पर विशेष बल सहित समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और विनियमन करने के उद्देश्य से की गई है।

8. **विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं** - यह प्रावधान

मुख्यतः निर्यात आधारभूत ढांचे के विकास, बाजार अभिगम्यता पहलों और वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु है।

9. **वस्तु बोर्ड** - इनकी स्थापना कतिपय महत्वपूर्ण बागवानी फसलों, नामतः रबड़, चाय, कॉफी और मसालों के विकास/निर्यात वर्धन के लिए की गई है। इन वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है और उपकर से होने वाली आय में से प्रशासनिक और विकासात्मक व्यय के लिए निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2004-05 के लिए अनुमानों में छोटे चाय उत्पादकों को आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए प्रावधान शामिल है।

10. बागान की अन्य स्कीमें:

मूल्य स्थिरीकरण निधि- यह प्रावधान चाय, कॉफी, रबड़ और तंबाकू की फसलों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि की स्थापना के लिए है।

चाय बागान : यह प्रावधान चाय उद्योग की पुनर्संरचना और पुनरुद्धार के लिए विशेष चाय विकास लेखा के सृजन के लिए है। चाय पर इस समय लगाए जाने वाले 1.00 रूपए प्रति किलोग्राम का उत्पाद शुल्क विशेष लेखे में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग विशेष रूप से चाय क्षेत्रक के विकास के लिए सब्सिडी अथवा चाय क्षेत्र के विकास के लिए उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

11. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान** - यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए है।

12. **आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय :** खरीद के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अधीन निदेशालय अब मुख्यतः दर संविदाएं निष्पादित करने से ही संबंधित है। यह प्रावधान आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है।